

२३/२/१८

जारी एवं जारी का वकील अनुपम (पुत्र) अजय (पुत्र) के नाम  
उपस्थित। जारी एवं जारी वकील के उपलब्ध वक्त तक  
बार बार आवेगें लावाई गई परन्तु उनकी ओर से कोई  
अदालत उपस्थित नहीं हुआ। जारी वकील का निवेदन यह  
कि जारी एवं उनके वकील हाजिर नहीं होकर खारिज किया  
जावे। यह प्रकरण अदम्य दैरवी अदम्य हाजिरी में खारिज  
किया जाता है। मिसल केसल सुनार होकर नम्बर से कम  
हो दाखिल करना है।

(सुरेश चावला)

उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर  
मसूदा (अजमेर) राज०

